न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 69/2022

(GCMS 2022/241)(21237964602297I)

मुकन्द सिंह पुत्र हरनेक सिंह साकिन 5 के.ए.डी. सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 94619–41862)

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मुकन्द सिंह उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 25.08.2022 को प्रस्तुत करके छः बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी और तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई, इसलिए उसने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के समक्ष प्रथम अपील पेश की थी। उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अपील का सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण उन्होनें अपने पत्रांक 5383 दिनांक 10.10.2022 से इस न्यायालय को स्थानान्तरित कर दिया था। जिसमें अपीलार्थी ने तहसीलदार, सूरतगढ़ से सूचना उपलब्ध करवाये जाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

अपीलार्थी मुकुन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.08.2022 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ से निम्न सूचना चाही थी:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:31:11 IST
Reason: SelfAttested

1	सूरतगढ तहसील [illegible] गिरदावरी का नाम व मोबाईल नं. सहित हल्का क्षेत्रानुसार सूची चाही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2 सूरतगढ़ के अधीन राज रकबा की पूर्ण चक मुरब्बा नं. पत्थर सहित पूर्ण तहसील की चकों के अनुसार नाजायत कारत व विवादित रकबा अन्य प्रकार से विविदित रकबे की सभी चकों की प्रमाणित सूची चाही है।

3 आजाद हिन्द फौज में सिपाहियों का सन जुलाई 1987 में रायसिंहनगर उपजिला कलक्टर द्वारा सूची भेजी थी। उसमें से कितनों को जमीन आंवटन की गई है और बकाया लाभार्थीयो सहित पूर्ण सूची की प्रमाणित सूचना देने का कष्ट करे।

4 आजाद हिन्द के सिपाहियों को बकाया लाभार्थियो की पूर्ण प्रक्रिया विवरण सहित राज्य सरकार के आदेशों की प्रमाणित सूचनाए चाही है।

5 आजाद हिन्द फौज में सिपाही नारायण सिंह पुत्र चेत सिंह मिसल संख्या/फाईल नं. 16/1987 की पूर्ण पत्रावली की दस्तावेज सहित प्रमाणित सूचनाए चाही है। यह मिसल आपके कार्यालय में जुलाई 1997 में आई है रायसिंहनगर उपजिला के आदेश आपके कार्यालय को किये है।

6 आजाद हिन्द फौज के सिपाहियो की एडीएम कार्यालय, सूरतगढ में वर्तमान मे सुनवाई में कितनी मिसल चल रही है सुनवाई दिनांक व फाईल संख्या सहित प्रमाणित सूचनाए चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:31:11 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक भू.अ./543 दिनांक 14.05.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी श्री मुकन्द सिंह पुत्र हरनेक सिंह 05 केएसडी सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना बाबत पूर्व में सूचित किया गया था तथा इस कार्यालय पत्रांक 457 दिनांक 03.05.2024 द्वारा पुनः प्रार्थी को उसके पते पर वांछित एवं नियमानुसार देय सूचना रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जा चुकी है। जिसकी प्रति संलग्न पत्र है।

अतः निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित एवं नियमानुसार देय सूचना दी जा चुकी है, इसलिए अपील, अपीलार्थी निरस्त फरमावें।

-sd-
तहसीलदार (भू.अ.)
सूरतगढ़

चूंकि **तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ ने** अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक 457 दिनांक 03.05.2024 से अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 01 की सूचना उपलब्ध करवाते हुए, बिन्दु संख्या 02, 03, 04 एवं 06 सूचना संधारित नहीं होने के कारण देय नहीं है और बिन्दु संख्या 05 की सूचना पूर्ण विवरण व विशिष्टियां के अभाव में उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती, का जवाब दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा **2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी से राय नहीं मांगी जा सकती है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:31:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ द्वारा अपील का दिया गया जवाब सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। **फिर भी सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार (भू.अ), सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी बिन्दु संख्या 05 की सूचना हेतु पत्रावली से सम्बन्धित पूर्ण विवरण उपल्ब्ध करवा दे तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.05.20[illegible] मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:31:11 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर